

ट्रक को टक्कर मारने के बाद मिनी बस पलटी, युवती समेत दो लोगों की मौत


वीकेआई क्षेत्र में रोड नंबर 17 पर सुबह 8:20 बजे हुआ हादसा, पांच लोग घायल



मृतक धनवीर सिंह और कविता शर्मा



वीकेआई क्षेत्र में बुधवार सुबह मिनी बस और ट्रक से टकरा गई।



हादसे में घायल महिलाएं व बच्चा

■ पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को जब्त किया, फरार चालकों की तलाश

जयपुर । विश्वकर्मा इलाके में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब मिनी बस एक ट्रक को टक्कर मारने के बाद पलट गई। अचानक हुए हादसे में सवारियों को चीख-पुकार मची तो स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े। खबर लगाते ही स्थानीय पुलिस, सड़क दुर्घटना इकाई और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवती सहित दो जनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि पांच घायलों का इलाज किया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारों को सौंप दिए। इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त मिनी बस और ट्रक को जब्त कर थाने ले जाया गया और फरार चालकों की तलाश शुरू की गई है।

पुलिस के अनुसार घटना सुबह करीब 8 बजकर 20 मिनट पर रोड नंबर-17, के अंदर की तरफ प्रेम इंडस्ट्रीज चौराहे पर हुई। मिनी बस आंकेड़ा ड्रॉगर स्टैंड से सवारियों लेकर महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान सामने से निकले ट्रक को साइड से टक्कर मारने के बाद मिनी बस पलटी खा गई। बस पलटते ही सवारियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में

युवती सहित दो लोगों की मौत हुई, जबकि मां-बेटी सहित पांच लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे में कविता शर्मा (22) पुत्री सीताराम निवासी श्रीराम नगर कच्ची बस्ती और धनवीर सिंह (45) निवासी गोविन्द नगर आंकेड़ा ड्रॉगर, वीकेआई की मौत हो गई। घायलों में पंकिमी देवी (30) पत्नी दिलीप, इसकी बच्ची जया (4), रामकली (46) पत्नी

राममिलन घायल हो गए सभी घायल और मृतक विश्वकर्मा इलाके के ही रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार बस हादसे के शिकार घायल और मृतक विश्वकर्मा इलाके में अधिकतर मजदूरी बस्ती और धनवीर सिंह (45) निवासी गोविन्द नगर आंकेड़ा ड्रॉगर, वीकेआई में काम करती थी। वह सुबह अपने ऑफिस के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में काल का ग्रास बन गई।

प्रदेश के 8 जिलों में तय लक्ष्य का सौ प्रतिशत कोरोना टीकाकरण : मीणा

जयपुर । चिकित्सा मंत्री परसादी लाल ने कहा कि राजस्थान कोरोना टीकाकरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य की ओर है और जल्द ही इस आंकड़े को छू लेगा। मीणा ने बताया कि प्रदेश के जयपुर प्रथम व द्वितीय, हनुमानगढ़ चित्तौड़गढ़, सीकर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बूंदी जिले में निर्धारित लक्ष्य का सौ प्रतिशत वैक्सिनेशन किया जा चुका है। दो जिलों में 80 से 90 टीकाकरण किया जा चुका जबकि 14 जिलों में 90 से 99 प्रतिशत लोगों को सुरक्षा कवच लगाया जा चुका है। जल्द ही प्रदेश शत प्रतिशत वैक्सिनेशन के जादूई आंकड़े को छू लेगा। मीणा ने प्रदेश में व्यापक स्तर पर किए जा रहे वैक्सिनेशन के लिए चिकित्सा कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्यकर्मी कड़ी मेहनत कर आमजन को कोरोना से बचाने का अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सिनेशन की दूसरी डोज से वंचित हैं, वे बिना देरी किए स्वयं का टीकाकरण करवा लें। उन्होंने कहा कि दोनों डोज लगवाने के बाद ही कोरोना जैसी महामारी से बचाव संभव है। उन्होंने इन जिलों के चिकित्सा अधिकारियों को वैक्सिनेशन की गति बढ़ाकर जल्द से जल्द शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए हैं। मीणा ने बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग के युवाओं ने वैक्सिनेशन के प्रति जबरदस्त उत्साह दिखाया। गत तीन जनवरी से प्रारंभ हुए वैक्सिनेशन में महज 17 दिनों में 60 प्रतिशत से अधिक युवाओं ने वैक्सिनेशन की पहली डोज लगवाई।

शिक्षक को एपीओ करने के आदेश पर रोक, विधायक से जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने स्कूल के निरीक्षण के दौरान विधायक के सवाल का जवाब नहीं देने पर शिक्षक को किए गए एपीओ आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने शिक्षा विभाग और नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलार्थी शिक्षक को पूर्व के स्थान पर कार्य करते रहने दिया जाए। अधिकरण ने यह आदेश कल्याण सिंह की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता दिलीप सिंह कुरका ने अधिकरण को बताया कि गत आठ जनवरी को भरतपुर की नदबई विधानसभा क्षेत्र से विधायक जोगिंदर सिंह अवाना निरपेक्ष गांव की सरकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए गए थे। यहां उन्होंने कक्षा पांच के कुछ छात्रों से सवाल किए जिसका जवाब नहीं देने पर विधायक ने अपीलार्थी शिक्षक को एपीओ करने के लिए शिक्षा अधिकारियों को कहा। इस पर विभाग ने अपीलार्थी को उसी दिन एपीओ कर दिया। अपील में कहा गया कि विधायक अपने समर्थकों और गनमैन सहित कक्षा में आए थे। जहां छात्रों की ओर से सवालों का जवाब नहीं देने पर उसे एपीओ किया गया। जबकि एपीओ करने से पूर्व नियमानुसार विभागाध्यक्ष की सहमति नहीं ली गई। इसके अलावा अपीलार्थी के खिलाफ कोई जांच भी शेष नहीं है। उसे राजनीतिक हस्तक्षेप और दुर्भावना के कारण एपीओ किया गया है। ऐसे में अधिकरण के आदेश पर रोक लगाई जाए जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने एपीओ आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग और विधायक से जवाब तलब किया है।

राजस्थान स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड गठित होगा

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए टोस नीति बनाने व इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में

सुझाव देगा। साथ ही प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को एग्री-प्रोसेसिंग एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति-2019 लागू की थी। इस नीति से जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, अनार, खजूर, प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने तथा इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिलेगी।

‘रीको एरिया में यूडी टैक्स की वसूली क्यों?’

जयपुर । हाईकोर्ट ने रीको एरिया में स्थानीय निकाय की ओर से यूडी टैक्स वसूली के मामले में मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग और रीको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजे अकील गुरेशी और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सुप्रीम इलेक्ट्रिकल प्रा. लि. की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता कृतेप ओसवाल ने अदालत को बताया कि रीको अधिनियम की धारा 32 के तहत रीको क्षेत्र में स्थित औद्योगिक, गैर औद्योगिक और व्यावसायिक सहित अन्य किसी भी तरह की इकाई पर यूडी टैक्स लगाने का क्षेत्राधिकार स्थानीय निकाय को नहीं है। ऐसे क्षेत्र में सीवरेज, सड़क और ड्रेनेज आदि सभी सुविधाएं रीको की ओर से ही विकसित की जाती हैं और स्थानीय निकाय का इस क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके बावजूद स्थानीय निकाय की ओर से याचिकाकर्ता को यूडी टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे में वसूली नोटिस को क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए।

एटीएम लूट गिरोह का सदस्य फिरोज की सदस्य फिरोज

जयपुर। करघनी पुलिस ने एटीएम लूटने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ कर पकड़ा है। आरोपी से पूछताछ में अन्य सदस्यों के बारे में पता लगा है। गौरतलब है कि गत दिनों वैधजी का चौराहा स्थित यूको बैंक के ताले तोड़कर एटीएम लूट का प्रयास किया था।

रीट भर्ती में उर्दू शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग



मुस्लिम परिषद संस्थान के अध्यक्ष युनुस चौपदार के नेतृत्व में बुधवार को प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में वार्ता की।

जयपुर (कासं)। रीट शिक्षक भर्ती में उर्दू शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग को लेकर मुस्लिम परिषद संस्थान के अध्यक्ष युनुस चौपदार के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मंडल की जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में वार्ता हुई। प्रतिनिधि मंडल में मुस्लिम परिषद के युनुस चौपदार, सैफ खान, मजलिस ए हिंद के पप्पू खिलजी आदि शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल की वार्ता संयुक्त सचिव ललित कुमार से हुई। वार्ता में बताया कि उर्दू भाषा के 600 पदों की स्वीकृति जल्द जारी कर दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि काफी समय से उर्दू शिक्षकों के रीट भर्ती में पद बढ़ाने को लेकर मांग उठ रही है। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सामने एडवोकेट पप्पू खिलजी के नेतृत्व में 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक एक धरना भी दिया गया था, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने प्रदर्शनकारियों से बात कर के उर्दू शिक्षकों के पद बढ़ाने का प्रस्ताव विच विभाग को भेजने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि विधायक रफीक खान, हाकम अली खान, अमीन कागजी, साफियाजुबैर सहित अब तक कई विधायक उर्दू शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग उठा चुके हैं। विधायक दानिश अब्दरार तो इस मांग को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला से भी मिल चुके हैं लेकिन अब तक इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया है। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की थी कि उर्दू शिक्षकों के 1000 पद निकाले जाएंगे लेकिन रीट शिक्षक भर्ती की विज्ञापन में सिर्फ 309 पद ही निकाले गए हैं। एडवोकेट पप्पू खिलजी ने बताया कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो 21 जनवरी को जयपुर में सीएम हाउस के आगे रीट के उर्दू बेरोजगार विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग इसी रीट भर्ती में उर्दू के 1000 पदों पर नहीं निकालने की है। आज हमारे एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी मुलाकात की है, जहां सकारात्मक वार्ता हुई है, उम्मीद है कि कल तक खुशखबरी मिल जाएगी।

लुटेरों को फर्जी सिम देने वाली युवती समेत दो लोग गिरफ्तार

प्री-वेडिंग शूट के बहाने कैमरे लूटने का मामला

जयपुर (कासं)। भांकरोटा पुलिस ने चाकू की नोक पर महंगे, हाईटेक और डिजिटल कैमरे लूट कर ले जाने वाली गैंग में शामिल महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से महंगे वीडियो डिजिटल कैमरे, मोबाइल साईकिल, फर्जी आईडी, सिम, मोबाइल और अवैध हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में 9 वारदातों का खुलासा किया है। इसके अलावा आरोपियों द्वारा लूट और ठगी के मामलों में मिली राशि जिन खातों में जमा करवाई गई है उन खातों को भी फ्रीज करवा दिया गया है।

■ आरोपियों के कब्जे से महंगे वीडियो डिजिटल कैमरे, साईकिल, फर्जी आईडी, सिम, मोबाइल और अवैध हथियार बरामद

डीसीपी (वेस्ट) ऋचा तोमर ने बताया कि गिरोह से लूटा गया माल खरीदने वाले दिनेश यादव निवासी जनीफनगर, दिल्ली और फर्जी सिम बेचने वाली एयरटेल कंपनी को प्रमोटर सोनिया यादव निवासी जगटाड़ा मोहल्ला, भरतपुर हाल शिवम् विहार गिराल सिटी, माचवा, कालवाड को गिरफ्तार किया है। आरोपित दिनेश के घर से चालीस खाली कैमरे बैग सहित बँट्टिया मिली है। वहीं आरोपित सोनिया

यादव द्वारा किन-किन लोगों को फर्जी सिम बेची गई है उनको चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस मामले में गैंग के शातिर बदमाश हर्षवर्धन उर्फ मोटी (19) निवासी गोविन्दपुरा करघनी, मानवेन्द्र सिंह (19) निवासी शास्त्री नगर, पिकू चौधरी (19) निवासी निवार्क करघनी, विकास गौड़ (22) निवासी वृंदावन विहार करघनी और दीपक उर्फ वीरेंद्र (23) निवासी फतेहपुर जिला सीकर को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। गिरोह प्री वेडिंग शूटिंग में फोटोटाफी करने के नाम पर बुकिंग कर दुकानदारों को सुरसास जगह ले जाकर चाकू की नोक पर महंगे, हाईटेक और डिजिटल कैमरों को लूट ले जाता था।

सार-समाचार

ब्राह्मण समाज ने सीएस को ज्ञापन सौंपा



जयपुर । सरकारी भर्तियों में आरक्षित एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक ही जमा कराने के राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में ब्राह्मण समाज राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष अंबिका प्रकाश पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कार्मिक विभाग के परिपत्र पर मुहर लगाई है। इसके कारण अब नई भर्तियों में अंतिम तिथि के बाद कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सीएम के इस निर्णय का सीधा असर ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं पर पड़ेगा। अन्य वर्गों के प्रमाण पत्र तो जल्द तैयार हो जाते हैं किन्तु ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए काफी समय इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में इस वर्ग के युवा सरकारी भर्ती निकलने पर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे तो अंतिम तिथि तक उनका प्रमाणपत्र ही तैयार नहीं हो पाएगा। ज्ञापन में सीएम से इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल में अंबिका प्रकाश पाठक के अलावा पं. रामवतार बासोतिया, पुनीत शर्मा, राहुल गुप्ता, गणेशनारायण शर्मा शामिल रहे।

निगम ने कुर्क किया अमेजन का ऑफिस

जयपुर । आर्थिक तंगहाली के दौर में ग्रेटर नगर निगम ने बकायदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को मुरलीपुरा जोन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उपायुक्त संतोष कुमार भवनल ने यूडी टैक्स बकाया होने पर निवार्क रोड स्थित अमेजन के ऑफिस अमेजन को कुर्क कर दिया। राज्य अधिकारी देवानंद शर्मा ने बताया कि इस सम्पत्ति पर 10 लाख 21 हजार रुपए का यूडी टैक्स बकाया चल रहा था। कई बार नोटिस जारी किए गए थे। कार्यवाही के बाद मालिक ने बकाया यूडी टैक्स जमा करवा दिया। इसी प्रकार लाईसेंस फीस जमा नहीं कराने पर तीन मैरिज गार्डनों को सील कर दिया गया। जिसमें आशिष शिव महिमा मैरिज गार्डन, जौहरी कुंज तथा ईदंता मैरिज गार्डन को सीज किया गया। ईदंता मैरिज गार्डन संचालक के कार्यवाही के बाद 6 लाख रुपए की राशि जमा करवा दी। ऐसे में निगम को कार्रवाई के दौरान 30 लाख 83 हजार 750 रूपए का राजस्व मिला है।

पति-पत्नी पर चाकू से हमला, 3 दबोचे

जयपुर । सोडाला इलाके में स्मैक के रूपए नहीं देने पर पति-पत्नी पर चाकू से हमला करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी सत्याल सिंह ने बताया कि 17 जनवरी को रामनगर कॉलोनी में तीन युवकों ने चाकू से हमला कर पति-पत्नी को घायल कर दिया था। अस्पताल में भर्ती महिला मोनिका और स्वरूप मंडल के पचा बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों का पता लगाकर रामनगर क्षेत्र से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित जाकिर (22) निवासी मथुरा, सोहेल (21) निवासी चांदपोल और राजू मंडल निवासी कोलकाता को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी युवक स्मैक पीने के आदी हैं और आदतन अपराधी हैं। बदमाश जाकिर ने पूर्व में सीएसटी टीम पर भी हमला किया था। आरोपी ने ही महिला मोनिका और स्वरूप मंडल से स्मैक के पैसे मांगे थे। पैसे नहीं देने पर चाकू मार दिया था।

बोनस अंक न देने पर जवाब मांगा

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा विभाग की प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018 में राजकीय चिकित्सालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को बोनस अंक के लाभ से वंचित करने पर चिकित्सा विभाग से 25 जनवरी तक जवाब मांगा है। जस्टिस महेंद्र गौयल की एकलपीठ ने यह अंतिम आदेश महेंद्र कुमार गौतम व अन्य की याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाओं में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 से राजकीय चिकित्सालय में संविदा के आधार पर प्रयोगशाला सहायक के पदों पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता विभाग की ओर से वर्ष 2018 में जारी की गई चौबीस घंटों में जयपुर में 114 भर्तियों में नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें एक दर्जन से अधिक क्षेत्र कोरोना के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। इधर आवंटन पत्र भी सौंप दिया है। यहां जमीन का भाव 10 करोड़ रुपये प्रति बीघा है।

कोई धांधली नहीं, एम्पावर्ड कमेटी के फैसले के आधार पर मुआवजा दिया : योगी

इस प्रकरण में जोन 6 के उपायुक्त अशोक कुमार योगी का कहना है कि काशतकारों को मुआवजा देने में कोई धांधली नहीं की गई। हमने एम्पावर्ड कमेटी के फैसले के आधार पर मुआवजा दिया है। इसमें एसओपी का भी ध्यान रखा गया है। उनका बात जब काशतकारों की दोहरी बात पर दिलाया गया तो कहना था कि मोती भवन गृह निर्माण सहकारिता समिति ने काशतकारों से किसी तरह का दस्तावेज नहीं पेश किया। इस आधार पर उनका कोई मुआवजा नहीं बनता। यहां तक सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की बात है तो ये सोसायटी वहां अपना जवाब देगी।

लोहामंडी योजना में काशतकारों को 250 करोड़ रुपये का मुआवजा देने में धांधली?

इस जमीन पर बसे भूखंडधारियों का आरोप है कि एम्पावर्ड कमेटी के फैसले की आड़ लेकर जेडीए के अफसरों ने काशतकारों को फायदा पहुंचाया है

जयपुर । जेडीए के अफसरों ने लोहामंडी योजना से जुड़े मुआवजे में जमकर धांधली की है। इस योजना की हाइसिंग सोसायटी के 400 भूखंडधारियों का आरोप है कि जेडीए प्रशासन ने उनकी आपत्तियां खारिज कर एम्पावर्ड कमेटी के फैसले की आड़ में काशतकारों को मुआवजा देने में 250 करोड़ का फायदा पहुंचाया है।

जबकि काशतकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर खुद की जमीन में आवासीय योजना विकसित होने की बात कही है, बाद में जेडीए से 250 करोड़ का मुआवजा उठाने के लिए उन्होंने इस तथ्य को नकार दिया है। इस जमीन पर बसे भूखंडधारियों के दावे को खारिज करने के लिए काशतकारों ने अपनी जमीन पर किसी तरह की योजना नहीं होना बताया है। ऐसे में अब काशतकारों की धोखाधड़ी के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में मुकदमें भी दर्ज होने शुरू हो गए हैं।

■ भूखंडधारियों का कहना है कि काशतकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर खुद की जमीन में आवासीय योजना विकसित होने की बात कही थी, बाद में जेडीए से मुआवजा उठाने के लिए इस तथ्य को नकार दिया है। लेकिन जेडीए प्रशासन ने काशतकारों के इस दोहरे रवैये पर ध्यान नहीं दिया।

फोर एसब्लॉक बी के नाम से 400 भूखंडधारियों की स्कीम बसाई हुई है। इस स्कीम के भूखंडधारियों ने यह कहते हुए जेडीए से मुआवजा मांगा कि उनका इस स्कीम में भूखंड है, लिहाजा उन्हें अवाप्ति का मुआवजा दिया जाए। इस बीच काशतकार कुलदीप वर्मा, राजीव वर्मा, सुरेंद्र कुमार वर्मा और महेंद्र कुमार वर्मा ने यह कहते हुए दावा किया कि इस 130 बीघा जमीन का नामांतरण उनके नाम खुला हुआ है, लिहाजा इस जमीन का मुआवजा एम्पावर्ड कमेटी के फैसले के मुताबिक उन्हें ही दिया जाए। साथ ही 90 बीघे हो चुकी जमीन का मालिकाना हक भी खुद का बताते हुए मुआवजा मांगा।

भूखंडधारियों की माने तो इस मामले में मंत्रिमंडल की एम्पावर्ड कमेटी ने फैसला दिया था कि 90बी शुदा जमीन में आ रहे भूखंडों को इसी स्कीम में पूरा मुआवजा दिया जाए। साथ ही काशतकारों को सर्वोच्च न्यायालय से केस वापस लेने की शर्त पर जमीन का 25 फीसदी मुआवजा दिया जाए (20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यावसायिक) दे दिया जाए।